



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असहज
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—सब-खण्ड (3)
PART II—Section 3—Sub-section (3)
विशेष में प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 588] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2012/कार्तिक 12, 1934
No. 588] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2012/KARTIKA 12, 1934

संविधान और भारत विद्यमान प्रशासन
अभिव्यक्त

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2012

सा.का.वि. 823(अ).—केंद्रीय सरकार, संविधान अनुसूची में भारत की संसद अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 45 की धारा (2) के खंड (घ) से खंड (ग) के साथ प्रति धारा (1) द्वारा प्रदात शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और भाषा - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संविधान अनुसूची में भारत की संसद अधिनियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—

(क) "अधिनियम" से संविधान अनुसूची में भारत की संसद अधिनियम, 2012 (2012 का 32) अभिप्रेत है ;

(ख) "जिला नाम संरक्षण एकांक" से विद्यमान न्याय (अपराधों की दखलाने और सहाय) संशोधन अधिनियम, 2008 की धारा 62क की अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित जिला नाम संरक्षण एकांक अभिप्रेत है ;

(ग) "विलेपन" से सार्वजनिक सहायता, अधिपति, भारत विकास या अन्य संबंधित शब्द में प्रतिक्रिया देना या प्रतिक्रिया देना, विचारों विपरीत देना, विचारों समर्थन, निरुत्साहता या किसी अन्य प्रकार के सहायता करने की प्रवृत्ति प्रकटित हो गई है, संदर्भ को सुधार बनाने की अपेक्षा की जाए ;

(घ) "विशेष शिक्षक" से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ किसी बालक की व्यक्तिगत शिक्षण और आवश्यकताओं का, शिक्षक अंतर्गत विद्यालय और संयुक्त, भाषात्मक और व्यवहारिक शिक्षण, शैक्षणिक निरुत्साहता और निरुत्साहता विचारों की सुनीतियां भी हैं, पता लगाने की दृष्टि से संदर्भ करने में प्रतिक्रिया देना अभिप्रेत है ;

(ङ) "बालक के साथ संदर्भ करने की दृष्टि से सुनिश्चित व्यक्ति" से किसी बालक के सहायता या सुधार के सहायता या उसकी सांख्यिकी मुहल्ला या कोई सदस्य या कोई

ऐसा व्यक्ति अभिलेख है, जिसमें बालक भरोसा या विश्वास रखता है, जो बालक की अधितीय संपर्क रीति से चुनसिद्ध होता है और जिसकी उपस्थिति बालक के साथ अधिक प्रभावी संपर्क के लिए अपेक्षित या सहायक हो सकेगी ;

(घ) "सहायक व्यक्ति" से बाल कल्याण समिति द्वारा नियम 4 के उपनिबन्ध (5) के अनुसार बालक को अन्वेषण और शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से सहायता देने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति या अधिनियम के अधीन किसी अपत्य की, सबसे विचारण-पूर्व या विचारण प्रक्रिया में बालक को सहायता करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अभिलेख है ।

(2) उन अन्य शब्दों या शर्तों को, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होने, जो अधिनियम में प्रयुक्त उनके हैं ।

3. दुभाषिया, अनुवादक और विशेष शिक्षक—(1) प्रत्येक जिले में जिला बाल संरक्षण एकाज, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दुभाषियों, अनुवादकों और विशेष शिक्षकों के नाम, पते और अन्य संपर्क खातों के साथ एक रजिस्टर रखेगा और यह रजिस्टर विशेष शिक्षकों वृत्तिय सुविधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "एच.जे.पी.यू." कहा गया है), स्थानीय पुलिस, मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायालय के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, उपलब्ध रहेगा ।

(2) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4), धारा 26 की उपधारा (3) और उपधारा (4) और धारा 38 के प्रयोजनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों की अर्हताएं और अनुभव यह होगा, जो इन नियमों में उपस्थित किया जाए ।

(3) जहां किसी दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक की उपनिबन्ध (1) के अधीन जिला बाल कल्याण एकाज द्वारा अनुसूचित सूची से मिन्य, नियुक्ति की जाती है, वहां इस नियम के उप नियम (4) और उप नियम (5) के अधीन विहित अर्हताओं को सुसंगत अनुभव के साथ या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक या विशेष शिक्षक द्वारा सुसंगत मातृभाषी में प्रदर्शित बात प्रपठिता के समूह के अन्तर्गत पर, जिला बाल कल्याण एकाज, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण के समाधानांतर रूप में सिद्धित किया जा सकेगा ।

(4) उपनिबन्ध (1) के अधीन नियुक्त दुभाषिए या अनुवादक को किसी बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा और राज्य की राजभाषा से, या हो ऐसी भाषा उसकी मद्दतगता होने के परिणामस्वरूप या कम से कम प्राथमिक स्तर तक शिक्षण में शिक्षा या माध्यम होने के परिणामस्वरूप या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा उसके व्यवसाय या कृषि या उस क्षेत्र में, जहां वह भाषा बोली जाती है, निवास स्थान होने के कारण अतिरिक्त इनके परिणामस्वरूप कार्यात्मक रूप से सुचरित होना चाहिए ।

(5) उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए संकेतभाषा दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या भारतीय मुद्रा परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से संबंधित भाषा या विशेष शिक्षा में अथवा किसी विशेषज्ञ की दशा में सुसंगत साक्षात् सुसंगत अर्हताएं होनी चाहिए ।

(6) ऐसे दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ की सेवाओं के लिए, जिसका नाम उपधारा (1) के अधीन अनुसूचित रजिस्टर में या अन्यथा प्रविष्ट किया जाता है, मुद्राण, राज्य सरकार द्वारा किसी न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 61 के अधीन अनुसूचित निधि से या जिला बाल संरक्षण एकाज के निबंधनभासीन अन्य निधियों से, उनके द्वारा अर्जितित शर्तों पर और ऐसे प्रकम में, जो राज्य सरकार द्वारा दत्त विहित विहित कने, अव्यवस्था की प्राप्ति पर किया जाएगा ।

(7) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना की तारीख के परन्तु, पुनर्निर्देश, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ के लिए के बारे में बालक द्वारा या उसके किसी अभिमानक पर विचार किया जा सकता और जहां आवश्यक हो, वहां एक से अधिक ऐसे व्यक्ति को, बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने हेतु नियुक्त किया जा सकता।

(8) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लेखाएं उपलब्ध कराने हेतु नियुक्त पुनर्निर्देश, अनुवादक, विशेष शिक्षक विशेषज्ञ या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से चुनसिक्त व्यक्ति निम्न और सूचनाहीन होना और किसी वास्तविक या काल्पनिक विवेक को प्रकट करेगा। यह एक प्रशिक्षण संस्था, 372 की धारा 282 के अनुसार किसी परिवर्तन या लेख को दिना पूर्व और पश्चात् निर्धारण या अनुवाद करेगा।

(9) विशेष न्यायालय, धारा 38 के अधीन कार्यवाहियों में यह चुनसिक्त करना कि क्या बालक पर्याप्त रूप से न्यायालय की भाषा बोलता है या नहीं और किसी पुनर्निर्देश, अनुवादक, विशेष शिक्षक या बालक के साथ संपर्क करने की रीति से चुनसिक्त अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संपर्क को सुकर बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, की नियुक्ति में कोई भी विवेक को अव्यक्त नहीं है।

(10) अधिनियम या उसके विधियों के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई पुनर्निर्देश, अनुवादक, विशेष शिक्षक या विशेषज्ञ, भारतीय राज्य अधिनियम, 1972 की धारा 126 के साथ पठित धारा 127 के अधीन तथा वर्णित गोपनीयता के नियम से अलग होना।

4. वेबसाइट और संरक्षण - (1) जहां किसी एलजेवीयू (विशेष निम्नोत्पन्न युनिट) या स्थानीय पुलिस को 16-सी वर्णित से बिलको अंतर्गत बालक भी है, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कोई भी सूचना प्राप्त होती है वहां ऐसी सूचना की रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एलजेवीयू (विशेष निम्नोत्पन्न युनिट) या स्थानीय पुलिस रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को सुरक्षा निम्नलिखित धारे प्रकट करेगी :-

- (i) बालक का नाम और पता ;
- (ii) पता और दूरभाष नंबर ;
- (iii) उस अधिकारी का नाम, पदनाम और संसर्क धारे जो सूचना प्रकट करने वाले अधिकारी का पर्यवेक्षण करता है।

(2) जहां, क्यासिद्धि, किसी एलजेवीयू (विशेष निम्नोत्पन्न युनिट) या, स्थानीय पुलिस को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अंतर्गत उपबंधों से अनुपलब्ध ने किसी ऐसे अपराध की बाबत जो किया गया है या करने का प्रयत्न किया गया है या बिलका किया जाना संभाव्य है, की सूचना प्राप्त होती है वहां संबंधित अधिकारी, जहां लागू है,-

(क) यह प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के उपखंडों के अनुसार प्रथम इच्छा रिपोर्ट अभिलिखित और सजिस्ट्रीकृत करने के लिए जाएगी और संहिता की धारा 154 की उपधारा (2) के अनुसार ऐसी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को उसकी एक प्रति मुफ्त देगा ;

(ख) जहाँ बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन या इन नियमों के अधीन न्यायार्थित अथवा विकिरण देखरेख की आवश्यकता है वहाँ बालक की निर्यात 5 के अनुसार में ऐसी देखरेख करवाने की व्यवस्था करेगा ;

(ग) बालक को अधिनियम की धारा 27 के अनुसार में विकिरण प्रक्रिया के लिए अस्पताल से जाएगी ;

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायार्थिक जांच के लिए एकलित नगुने संप्रतिरिक्त न्यायार्थिक प्रयोगशाला में भेज दिए गए है ;

(ङ) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति पिता पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को सहायक सेवाओं, जिसमें संरक्षा की है, को प्राप्ता के बारे में सूचना देगा और उसकी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने में सहायता करने को ऐसी सेवाएं और अनुमति देने के लिए उत्तरदायी है ;

(च) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति पिता पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को अधिनियम की धारा 40 के अनुसार में बालक को शिक्षक सलाह का अधिकार और सतर्क और किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के बारे में सूचना देगा ।

(3) जहाँ एलजेपीडू (विशेष किशोर पुलिस युनिट) या स्थानीय पुलिस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होती है और यह सुनिश्चित आशंका है कि बालक को चली या सज्जी नृहन्नी में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है या करने का प्रस्ताव किया गया है या किया जाना संभाव्य है या बालक किसी बात देखरेख संस्था में रह रहा है और माता पिता की सहायता के बिना है या बालक किसी भी गृह या माता पिता पर सहायता के बिना रहा गया है तो संबंधित एलजेपीडू (विशेष किशोर पुलिस युनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूटी द्वारा ब्यौरवार निर्धारण को अनुमोदय सहित

विशेष विहित न हो जाए तो ऐसे कारण की होने कि क्या बालक को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, बालक को बाल कल्याण समिति (जिसमें इसमें इसके पश्चात् "सीक्रेटरी" कहा गया है) को सूचना देना करेगी।

(4) उपधियम (3) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्रतिलिपि पर संबंधित सीक्रेटरी को सूचना देना या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से किशोर प्यार अधिनियम, 2000 की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपनी कर्तव्यों को अनुसरण में तीन दिन के भीतर यह अस्थापना करने के लिए आग्रह करना चाहे कि क्या बालक को उसके कुटुंब या साझेदारी की अस्थापना से अलग ले जाने और उसे किसी बालगृह या आश्रयगृह में रखने की आवश्यकता है।

(5) उपधियम (4) के अधीन अस्थापना करते समय सीक्रेटरी बालक द्वारा अधिनियम की धारा 19 अधिनियम या धारा के साथ ही साथ बालक के सर्वोत्तम हित पर विचारित बालों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा :-

(i) बालक की सुरक्षा देखरेख और संरक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिसके अंतर्गत किशोरवय अवस्था और मंत्रणा भी है, माता पिता या माता या पिता का कोई अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है, की सम्मति ;

(ii) बालक की उसके माता पिता, कुटुंब और विस्तृत कुटुंब में रहने की आवश्यकता और उनके साथ संबंध बनाए रखना ;

(iii) बालक की आयु और परिस्थिति का स्तर, शिवा और सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण ;

(iv) बालक की शिक्षण, यदि कोई हो ;

(v) ऐसी कोई भी दीर्घकालिक स्थिति जिससे बालक प्रभावित हो सकता है ;

(vi) बालक या बालक के कुटुंब के किसी सदस्य को अंतर्भाव करने वाली कोटिबद्ध शिक्षण का कोई इतिहास ; और

(vii) कोई अन्य सुसंगत कारण जो बालक के सर्वोत्तम हित पर प्रभाव डालता हो ;

परंतु ऐसा अस्थापना किए जाने के पूर्व एक प्रांश देते समय में की जाएगी जिससे बालक को अनावश्यक रूप से कोई क्षति या असुविधा नहीं हो।

4304 GI/12-2

(6) बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है और जिसके साथ बालक रह रहा है जो कि ऐसे अध्यायन से प्रभावित हुआ है, को यह सूचना दी जाएगी कि ऐसे अध्यायन पर विचार किया गया है।

(7) सीइस्यूटी, अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन किसी रिपोर्ट की प्रतिलिपि पर या उपनियम (5) के अधीन अपने निर्धारण के आधार पर और बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की सहमति से अध्यायन और विचारण की प्रक्रिया के अन्तर्गत बालक की सहमता कलने के लिए एक सहायक व्यक्ति की व्यवस्था कर सकेंगी। ऐसा सहायक व्यक्ति बालक अधिकांश के क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या संगठन या बाल गृह या बालक की अधिकांश रहने वाले आश्रमगृह या कोई पछाही या औद्योगिक इलाके नियोजित कोई व्यक्ति हो सकेंगे।

परंतु इन नियमों की कोई बात बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहिक करने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहमता मांगने से नहीं रोकेंगी।

(8) सहायक व्यक्ति हर समय बालक से संबंधित सभी सूचनाओं, जिन तक उसकी पहुंच है, को गोपनीयता बनाए रखेगा। वह बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, मानने की कार्यवाहियों के बारे में सूचित करता होगा जिसके अंतर्गत उपरलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रियाएं और संभावित परिणाम भी हैं, वह बालक को न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा अद्य की जा सकने वाली भूमिका के बारे में भी सूचित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि बालक से संबंधित उसकी अनियुक्त से चुप्पा और यह कि उसे जिस पर यह अपना परिचय देना चाहेंगे, के बारे में सुसंगत प्राधिकारियों को बताएगा।

(9) जहां बालक को कोई सहायक व्यक्ति दिया गया है, वहां एसजेसीयू (विशेष किशोर पुलिस यूनिट) या स्थानीय पुलिस ऐसे समन्वयन करने के 24 घंटे के भीतर लिखित में विशेष व्यवस्थाओं को सूचना देगा।

(10) सीडब्ल्यूसी (बालक कल्याण समिति), बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या उस व्यक्ति को, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, अनुरोध पर सहजक व्यक्ति की सेवाएं समाप्त कर सकेंगा और ऐसा अनुरोध करने वाले बालक से ऐसे अनुरोध के लिए कोई भी खर्च देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । विशेष न्यायालय को ऐसी सूचना लिखित में दी जाएगी ।

(11) एलजेवीयू (विशेष किशोर पुलिस सुनिट) या स्थानीय पुलिस या बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर बालक का विश्वास और भरोसा है और जहां सहजक व्यक्ति समुपस्थित किया गया है जहां ऐसे व्यक्ति को मामले की प्रगति के बारे में सूचना देने का प्रावधानित होगा जिसके अंतर्गत अभियुक्त की गिरफ्तारी, पकड़न किए गए आवेदन और अन्य न्यायालयिक कार्रवाहियां भी हैं ।

(12) एलजेवीयू (विशेष किशोर पुलिस सुनिट), स्थानीय पुलिस, या सहजक व्यक्ति, द्वारा बालक और उसके माता पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को दी जाने वाली सूचना में निम्नलिखित है किंतु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है :-

- (i) लोक और निजी आपत और संकटवस्था सेवाओं की उपलब्धता ;
- (ii) किसी सार्विक अभियोजन में अंतर्भूत प्रक्रियात्मक कथन ;
- (iii) पीड़ित के प्रतिफल कार्रवाई की प्राप्ति ;
- (iv) अपराध के अन्वेषण की प्रकृति, जहां तक उसकी सूचना पीड़ित को देना उपयुक्त है और जहां तक इससे अन्वेषण में हस्तक्षेप नहीं होगा ;
- (v) किसी सार्विक अपराधी की गिरफ्तारी ;
- (vi) किसी सार्विक अपराधी के विरुद्ध आरोप पत्रदल करना ;
- (vii) न्यायालयिक कार्रवाहियों की समवायुत्तरी जिस पर या तो बालक के उपस्थित होने की अपेक्षा की गई है या वह उपस्थित होने का हवा रखता है ;
- (viii) किसी अपराधी या सार्विक अपराधी की जमानत, उसे छोड़े जाने या निर्दोष की प्रकृति ;
- (ix) विचारण के परामर्श किसी अधिका के दिया जाना ; और

(x) किसी अपराधी पर अधिवेष्टित दस्तवेत ।

5. आपात विधिवल्ला देखरेख - (1) यहाँ एतदर्थेयू (विशेष विचारे पुलित्त कुणित्), या स्थानीय पुलित्त के किसी अधिकारी को अधिविद्यम की धार 19 के अधीन यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिविद्यम के अधीन का कोई अपराध किया गया है और उसके सम्पत्तान हो जाता है कि उस बालक को, जिसके विन्द्य कोई अपराध किया गया है, तुरंत विधिवल्ला देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है जो यह ज्ञातहयप हीन किनु ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के अणरवात, ऐसे बालक को आपात विधिवल्ला देखरेख के लिए विकल्पतम अस्पताल या विधिवल्ला देखरेख प्रमुविद्या केन्द्र से कले की व्यवस्था करेगा :

परंतु यहाँ कोई अपराध अधिविद्यम की धार 3, धार 5, धार 7 या धार 9 के अधीन किया गया है यहाँ सीमित आपात विधिवल्ला देखरेख के लिए ले जाया जाएगा ।

(2) आपात विधिवल्ला देखरेख, ऐसी स्थिति में, जिसमें बालक की निराला की सुध्या हो सके, और उसके माता पिता या संरक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, की जाएगी ।

(3) किसी बालक की आपात विधिवल्ला देखरेख करने वाला कोई भी विधिवल्ला व्यवसायी, अस्पताल या अन्य विधिवल्ला प्रमुविद्या केन्द्र ऐसी देखरेख करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रूप में किसी भी विधिक या पत्रिस्टेंट की अख्येक्षा या अन्य प्रलेखीकरण की मांग नहीं करेगा ।

(4) आपात विधिवल्ला देखरेख करने वाला सजिस्ट्रीकृत विधिवल्ला व्यवसायी बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :-

(i) कपट (विद्यारण्य), नीली, और अन्य वस्तियाँ जिसमें अंतर्गत जननेन्द्रिय वस्ति, यदि कोई हो, भी है, का उपचार ;

- (ii) लैंगिक परिचित वेग (एचटीडीज) से उच्चतम जिसके अंतर्गत परिलक्षित एचटीडीज का वेग निरूपित भी है, का उपचार ;
- (iii) संक्रामक वेग विशेषज्ञ से आशयका परामर्श के परचात् हदुगन इन्फोर्मेडिफेरी वायरस (एचआईवी) के उच्चतम जिसके अंतर्गत एचआईवी का वेग निरूपित भी है, का उपचार ;
- (iv) जीवनगम बालक और उसके माता पिता वा किली अन्य धरित री, जिस वर बालक का भरोसा और विश्वास है, के साथ संभाव्य नर्भसित्य और आपत्त गर्भ निरोधक के बारे में चर्चा करनी चाहिए ; और
- (v) जहाँ आवश्यक हो, मानसिक वा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए संदर्भलोकन वा परामर्श वा अन्य मंत्रणा की जानी चाहिए ।
- (6) आपत्त शिकिलता देखनेक करने के प्रक्रम पर एकत्रित किन्द् गर् किली भी न्याय संबंधी सहाय के अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में एकत्रित किवा जाना चाहिए ।

8. अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग - (1) क्वान्थिटी, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसमें इसके परचात् "एनसीपीसीआर" कहा गया है) वा राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, (जिसे इसमें इसके परचात् "एससीपीसीआर" कहा गया है), बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन उनको समनुबंधित कृत्यों के अतिरिक्त अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य करनेवा :-

- (क) राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के परामर्शकों को मॉनीटर करना ;
- (ख) राज्य सरकारों द्वारा लोक अधिकारियों की नियुक्ति को मॉनीटर करना ;
- (ग) राज्य सरकारों द्वारा, बालक की विचारण पूर्व और विचारण के स्तर पर सहायता के सहबद्ध गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायियों और विशेषज्ञों वा मनोविज्ञान, समाजिक कार्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बालक विकास का ज्ञान रखने वाले

4304 6E/120

शक्तियों के उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 29 में वर्णित शर्तनिर्देश बनाने को मॉनीटर करना और इन शर्तनिर्देशों को लागू करने को मॉनीटर करना ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रगती निर्वहन के लिए प्रविष्टत पुलिस कर्मियों और अन्य संबंधित शक्तियों, जिसके अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारी भी हैं, के लिए निरन्धविता के डिजिटन और कार्यान्धरण को मॉनीटर करना ;

(ङ) मीडिया, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियों और प्रिंट मीडिया भी हैं, के माध्यम से निरन्धित अंतर्गत पर अधिनियम के उपबंधों से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मॉनीटर करना और उनको रक्षापत्र बनाना जिससे अधिनियम के उपबंधों के प्रति जनसमाधान, बालकों के साथ ही साथ उनके माता पिता और संरक्षकों को जागरूक किया जा सके ।

(2) क्वाशिडि, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर किसी सीटडब्ल्यूसी की अधिधरिता के मीटर अने वाले बालक लैंगिक दुल्लयोग के किसी भी विनिर्दिष्ट मामले पर रिपोर्ट नान सकेंगे ।

(3) क्वाशिडि, एनसीपीसीआर या एससीपीसीआर रक्षेत्रता से या सुसंगत अभिधरनों से लैंगिक दुल्लयोग के रिपोर्ट किए गए मामले और अधिनियम के अधीन स्थापित प्रक्रिया के अधीन उनमें निरपटारे की बाबत सूचना और आंकड़े एकत्रित कर सकेंगे जिसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट सूचना भी हैं :-

(i) अधिनियम के अधीन रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या और धरि ;

(ii) क्वा अधिनियम और नियमों के अधीन दिहित क्रियमाओं का अनुसलन किया गया है जिसके अंतर्गत समवलीन से संबंधित प्रक्रिया भी है ;

(iii) अधिनियम के अधीन अपराधों के रीदितों की देखरेख और संरक्षण के लिए ध्यवस्था के धरि जिसके अंतर्गत आपात चिकित्सा देखरेख और चिकित्सा धरीक्षा की व्यवस्था भी है ; और

(iv) संबंधित सीटडब्ल्यूसी द्वारा किसी भी विनिर्दिष्ट मामले में किसी बालक की देखरेख और संरक्षण के लिए आवश्यकता के निर्धारण की बाबत धरि ।

(4) व्यवहारिक, एनसीपीसीआर या एनसीपीसीआर इस प्रकार एकत्रित सूचना का इस्तेमाल अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन को निर्धारित करने के लिए कर सकेगी। अधिनियम की सीपीटी पर रिपोर्ट को एनसीपीसीआर या एनसीपीसीआर की वार्षिक रिपोर्ट में एक अलग अध्याय में सम्मिलित किया जाएगा।

7. **प्रतिकर -** (1) विशेष न्यायालय, समुचित मामलों में स्वयंसेवा से या बालक द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए आवेदन पर प्रथम इच्छा रिपोर्ट के दुरुस्तीकरण के परन्तु कितनी भी स्तर पर बालक को अनुसंधान या पुनर्वास की पूर्ण आवश्यकता को पूर्ति के लिए अंतरिम प्रतिकर का आवेदन पेश कर सकेगा। बालक को संघटा ऐसे अंतरिम प्रतिकर को अंतिम प्रतिकर, यदि कोई हो, के विरुद्ध लगायेगा किया जाएगा।

(2) विशेष न्यायालय, स्वयंसेवा से या पीकित द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए कितनी आवेदन पर जहां अभियुक्त को दोषविद्ध किया गया है या जहां मामले का परिणाम दोषमुक्ति का उन्मोचन है या अभियुक्त का पता नहीं लगा है या वह काम नहीं की गई है और विशेष न्यायालय की राय में बालक ने एक अनुरोध के परिणामस्वरूप हाथ या हाथी उठाई है तो प्रतिकर अधिनियमित करने की सिफारिश कर सकेगा।

(3) जहां विशेष न्यायालय बंध प्रक्रिया कठिनाई की धारा 357क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के साथ बंधित अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (b) के अधीन पीकित को प्रतिकर अधिनियमित करने का निर्देश देता है तो पीकित को हुई हाथ या हाथी से संबंधित सभी सुसंगत कार्यों पर विचार करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है :-

(i) पुनर्वास के प्रकार, अनुरोध की संगीनता और बालक द्वारा उठाई गई मानसिक और शारीरिक अपहरण और हाथी की गंभीरता ;

(ii) शारीरिक और/या मानसिक स्वास्थ्य के लिए उस पर उपचार या उपचार किए जाने के लिए संभाव्य व्यय ;

(iii) अपराध के परिणामस्वरूप सैद्धिक अस्वास्थ्य की हानि जिसके अंतर्गत मानसिक अपात, हास्यिक क्षति, विधिवत् उपचार, अपराध के अन्वेषण और विचारण के कारण या किसी अन्य कारण से विद्यालय से अनुपस्थिति भी है ;

(iv) अपराध के परिणामस्वरूप निवोधन की हानि जिसके अंतर्गत मानसिक अपात, हास्यिक क्षति, विधिवत् उपचार, अपराध के अन्वेषण और विचारण के कारण या किसी अन्य कारण से निवोधन के स्थान से अनुपस्थिति भी है ;

(v) अपराध को राज्य बालक का संबंध, यदि कोई हो ;

(vi) क्या ऐसा दुस्वयोन एक अकेली घटना थी या ऐसा दुस्वयोन अलग-अलग समय पर बार-बार पर होता रहा ;

(vii) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप गर्भवती हो गई है ;

(viii) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप किसी लैंगिक परेशान सेम (एसटीडी) से संसर्ग-प्राप्त हो गया है ;

(ix) क्या बालक अपराध के परिणामस्वरूप हृदय इन्फार्मिडिपटी कायरस (एचआईवी) से संसर्ग-प्राप्त हो गया है ;

(x) अपराध के परिणामस्वरूप बालक द्वारा चरन की गई कोई भी निराकरण ;

(xi) उक्त बालक की वित्तीय स्थिति जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है जिससे उसके पुनर्वास की आवश्यकता को अक्षयित किया जा सके ;

(xii) कोई अन्य कारण जो विशेष न्यायालय सुसंगत समझे ।

(4) विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियमित प्रतिकर राज्य सरकार द्वारा पंक्ति के लिए प्रतिकर विधि या उसके द्वारा संक प्रक्रिया संकित की धारा 267क या तत्समव प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंक्ति के प्रतिकर और पुनर्वास के प्रयोजनों के लिए स्थापित कोई अन्य स्थान या विधि से किया जाय है या जहाँ ऐसी विधि या स्थान नहीं है वहाँ राज्य सरकार द्वारा किया जाय है ।

(5) राज्य सरकार विशेष न्यायालय द्वारा अधिनियमित प्रतिकर का संघटन ऐसे आदेश की प्रविधि के 30 दिन के भीतर करेगी ।

(ग) इन नियमों को कोई बच्चा बालक या उसकी माता पिता या संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर बालक का भरोसा और विश्वास है, को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किन्हीं अन्य नियमों और एसीय के अधीन अनुबंध करने के लिए आदेश देने से नहीं रोकेगी।

[प. सं. २२-१४०२०१२-सीडएनयू-१]

श्री. विवेक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2012

G.S.R. 823(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) to (d) of sub-section (2), of section 45 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), the Central Government hereby makes the following rules, namely -

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012);

(b) "District Child Protection Unit" (DCPU) means the District Child Protection Unit established by the State Government under section 62A of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2006;

(c) "Expert" means a person trained in mental health, medicine, child development or other related discipline, who may be required to facilitate communication with a child whose ability to communicate has been affected by trauma, disability or any other vulnerability;

(d) "Special educator" means a person trained in communication with children with special needs in a way that addresses the child's individual differences and needs, which include challenges with learning and communication, emotional and behavioural disorders, physical disabilities, and developmental disorders;

(e) "Person familiar with the manner of communication of the child" means a parent or family member of a child or a member of his shared household or any person in whom the child reposes trust and confidence, who is familiar with that child's unique manner of communication,

५३०५ ६५/१२-५

and whose presence may be required for or be conducive to more effective communication with the child:

(1) "Support person" means a person assigned by a Child Welfare Committee, in accordance with sub-rule (8) of rule 4, to render assistance to the child through the process of investigation and trial, or any other person assisting the child in the pre-trial or trial process in respect of an offence under the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them under the Act.

3. Interpreters, translators and Special educators - (1) In each State, the DCPU shall maintain a register with names, addresses and other contact details of interpreters, translators and special educators for the purposes of the Act, and this register shall be made available to the Special Juvenile Police Unit (hereafter referred to as "SJPU"), local police, magistrate or Special Court, as and when required.

(2) The qualifications and experience of the interpreters, translators, Special educators, and experts, engaged for the purposes of sub-section (4) of section 19, sub-sections (3) and (4) of section 26 and section 38 of the Act, shall be as indicated in these rules.

(3) Where an interpreter, translator, or Special educator is engaged, otherwise than from the list maintained by the DCPU under sub-rule (1), the requirements prescribed under sub-rules (4) and (5) of this rule may be relaxed on evidence of relevant experience or formal education or training or demonstrated proof of fluency in the relevant languages by the interpreter, translator, or special educator, subject to the satisfaction of the DCPU, Special Court or other authority concerned.

(4) Interpreters and translators engaged under sub-rule (1) should have functional familiarity with language spoken by the child as well as the official language of the state, either by virtue of such language being his mother tongue or medium of instruction at school at least up to primary school level, or by the interpreter or translator having acquired knowledge of such language through his vocation, profession, or residence in the area where that language is spoken.

(5) Sign language interpreters, Special educators and experts entered in the register under sub-rule (1) should have relevant qualifications in sign language or special education, or in the case of an expert, in the relevant discipline, from a recognized University or an institution recognized by the Rehabilitation Council of India.

(6) Payment for the services of an interpreter, translator, Special educator or expert whose name is enrolled in the register maintained under sub-rule (1) or otherwise, shall be made by the State Government from the Fund maintained under section 61 of the Juvenile Justice Act, 2000, or from other funds placed at the disposal of the DCPU, at the rates determined by them, and on receipt of the requisition in such format as the State Government may prescribe in this behalf.

(7) Any preference expressed by the child at any stage after information is received under sub-section (1) of section 19 of the Act, as to the gender of the interpreter, translator, Special educator, or expert, may be taken into consideration, and where necessary, more than one such person may be engaged in order to facilitate communication with the child.

(8) The interpreter, translator, Special educator, expert, or person familiar with the manner of communication of the child engaged to provide services for the purpose of the Act shall be unbiased and impartial and shall disclose any real or perceived conflict of interest. He shall render a complete and accurate interpretation or translation without any additions or omissions, in accordance with section 282 of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(9) In proceedings under section 38, the Special Court shall ascertain whether the child speaks the language of the court adequately, and that the engagement of any interpreter, translator, Special educator, expert or other person familiar with the manner of communication of the child, who has been engaged to facilitate communication with the child, does not involve any conflict of interest.

(10) Any interpreter, translator, Special educator or expert appointed under the provisions of the Act or its rules shall be bound by the rules of confidentiality, as described under section 127 and with section 126 of the Indian Evidence Act, 1972.

4. Care and Protection - (1) Where an SJPU or the local police receives any information under sub-section (1) of section 19 of the Act from any person including the child, the SJPU or local police receiving report of such information shall forthwith disclose to the person making the report, the following details-

- (i) his name and designation;
- (ii) the address and telephone number;
- (iii) the name, designation and contact details of the officer who supervises the officer receiving the information.

(2) Where an S/PU or the local police, as the case may be, receives information in accordance with the provisions contained under sub-section (1) of section 19 of the Act in respect of an offence that has been committed or attempted or is likely to be committed, the authority concerned shall, where applicable, -

(a) proceed to record and register a First Information Report as per the provisions of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and furnish a copy thereof free of cost to the person making such report, as per sub-section (2) of section 154 of the Code;

(b) where the child needs emergency medical care as described under sub-section (5) of section 19 of the Act or under these rules, arrange for the child to access such care, in accordance with rule 5;

(c) take the child to the hospital for the medical examination in accordance with section 27 of the Act;

(d) ensure that the samples collected for the purposes of the forensic tests are sent to the forensic laboratory at the earliest;

(e) inform the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence of the availability of support services including counselling, and assist them in contacting the persons who are responsible for providing these services and relief;

(f) inform the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence as to the right of the child to legal advice and counsel and the right to be represented by a lawyer, in accordance with section 40 of the Act.

(3) Where the S/PU or the local police receives information under sub-section (1) of section 19 of the Act, and has a reasonable apprehension that the offence has been committed or attempted or is likely to be committed by a person living in the same or shared household with the child, or the child is living in a child care institution and is without parental support, or the child is found to be without any home and parental support, the concerned S/PU, or the local police shall produce the child before the concerned Child Welfare Committee (hereafter referred to as "CWC") within 24 hours of receipt of such report, together with reasons in writing as to whether the child is in need of care and protection under sub-section (5) of section 19 of the Act, and with a request for a detailed assessment by the CWC.

(4) Upon receipt of a report under sub-rule (3), the concerned CWC must proceed, in accordance with its powers under sub-section (1) of section 31 of the Juvenile Justice Act, 2000, to make a determination within three days, either on its own or with the assistance of a social worker, as to whether the child needs to be taken out of the custody of his family or shared household and placed in a children's home or a shelter home.

(5) In making determination under sub-rule (4), the CWC shall take into account any preference or opinion expressed by the child on the matter, together with the best interests of the child, having regard to the following considerations:

- (i) the capacity of the parents, or of either parent, or of any other person in whom the child has trust and confidence, to provide for the immediate care and protection needs of the child, including medical needs and counselling;
- (ii) the need for the child to remain in the care of his parent, family and extended family and to maintain a connection with them;
- (iii) the child's age and level of maturity, gender, and social and economic background;
- (iv) disability of the child, if any;
- (v) any chronic illness from which a child may suffer;
- (vi) any history of family violence involving the child or a family member of the child; and,
- (vii) any other relevant factors that may have a bearing on the best interests of the child.

Provided that prior to making such determination, an inquiry shall be conducted in such a way that the child is not unnecessarily exposed to injury or inconvenience.

(6) The child and his parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence and with whom the child has been living, who is affected by such determination, shall be informed that such determination is being considered.

(7) The CWC, on receiving a report under sub-section (6) of section 19 of the Act or on the basis of its assessment under sub-rule (5), and with the consent of the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, may provide a support person to render assistance to the child through the process of investigation and trial. Such support person may be a person or organisation working in the field of child rights or child protection, or an official of a children's home or shelter home having custody of the child, or a person employed by the DCPU:

4304 GJ/12-5

Provided that nothing in these rules shall prevent the child and his parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence from seeking the assistance of any person or organisation for proceedings under the Act.

(8) The support person shall at all times maintain the confidentiality of all information pertaining to the child to which he has access. He shall keep the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, informed as to the proceedings of the case, including available assistance, judicial procedures, and potential outcomes. He shall also inform the child of the role he may play in the judicial process and ensure that any concerns that the child may have, regarding his safety in relation to the accused and the manner in which he would like to provide his testimony, are conveyed to the relevant authorities.

(9) Where a support person has been provided to the child, the SJPU or the local police shall, within 24 hours of making such assignment, inform the Special Court in writing.

(10) The services of the support person may be terminated by the CWC upon request by the child and his parent or guardian or person in whom the child has trust and confidence, and the child requesting the termination shall not be required to assign any reason for such request. The Special Court shall be given in writing such information.

(11) It shall be the responsibility of the SJPU, or the local police to keep the child and his parent or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, and where a support person has been assigned, such person, informed about the developments, including the arrest of the accused, applications filed and other court proceedings.

(12) The information to be provided by the SJPU, local police, or support person, to the child and his parents or guardian or other person in whom the child has trust and confidence, includes but is not limited to the following:-

- (i) the availability of public and private emergency and crisis services;
- (ii) the procedural steps involved in a criminal prosecution;
- (iii) the availability of victims' compensation benefits;
- (iv) the status of the investigation of the crime, to the extent it is appropriate to inform the victim and to the extent that it will not interfere with the investigation;
- (v) the arrest of a suspected offender;

- (v) the filing of charges against a suspected offender;
- (vi) the schedule of court proceedings that the child is either required to attend or is entitled to attend;
- (vii) the bail, release or detention status of an offender or suspected offender;
- (ix) the rendering of a verdict after trial; and
- (x) the sentence imposed on an offender.

5. **Emergency medical care** - (1) Where an officer of the SJPU, or the local police receives information under section 19 of the Act that an offence under the Act has been committed, and is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of urgent medical care and protection, he shall, as soon as possible, but not later than 24 hours of receiving such information, arrange to take such child to the nearest hospital or medical care facility centre for emergency medical care:

Provided that where an offence has been committed under sections 3, 5, 7 or 9 of the Act, the victim shall be referred to emergency medical care.

- (2) Emergency medical care shall be rendered in such a manner as to protect the privacy of the child, and in the presence of the parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence.
- (3) No medical practitioner, hospital or other medical facility centre rendering emergency medical care to a child shall demand any legal or magisterial requisition or other documentation as a pre-requisite to rendering such care.
- (4) The registered medical practitioner rendering emergency medical care shall attend to the needs of the child, including -
 - (i) treatment for cuts, bruises, and other injuries including genital injuries, if any;
 - (ii) treatment for exposure to sexually transmitted diseases (STDs) including prophylaxis for identified STDs;
 - (iii) treatment for exposure to Human Immunodeficiency Virus (HIV), including prophylaxis for HIV after necessary consultation with infectious disease experts;

4304 605/12-6

- (iv) possible pregnancy and emergency contraceptives should be discussed with the pubertal child and her parent or any other person in whom the child has trust and confidence; and,
- (v) whenever necessary, a referral or consultation for mental or psychological health or other counselling should be made.

(5) Any forensic evidence collected in the course of rendering emergency medical care must be collected in accordance with section 27 of the Act.

6. Monitoring of implementation of the Act - (1) The National Commission for the Protection of Child Rights (hereafter referred to as "NCPCR") or the State Commission for the Protection of Child Rights (hereafter referred to as "SCPCR"), as the case may be, shall in addition to the functions assigned to them under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, perform the following functions for implementation of the provisions of the Act-

- (a) to monitor the designation of Special Courts by State Governments;
 - (b) to monitor the appointment of Public Prosecutors by State Governments;
 - (c) to monitor the formulation of the guidelines described in section 39 of the Act by the State Governments, for the use of non-governmental organisations, professionals and experts or persons having knowledge of psychology, social work, physical health, mental health and child development to be associated with the pre and post trial stage to assist the child, and to monitor the application of these guidelines;
 - (d) to monitor the designing and implementation of modules for training police personnel and other concerned persons, including officers of the Central and State Governments, for the effective discharge of their functions under the Act;
 - (e) to monitor and support the Central Government and State Governments for the dissemination of information relating to the provisions of the Act through media including the television, radio and print media at regular intervals, so as to make the general public, children as well as their parents and guardians aware of the provisions of the Act.
- (2) The NCPCR or the SCPCR, as the case may be, may call for a report on any specific case of child sexual abuse falling within the jurisdiction of a CWC.